भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *91

दिनांक 05 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सार्वजनिक - निजी भागीदारी के तहत चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन

†*91. श्री नरेश गणपत म्हस्केः

श्रीमती भारती पारधीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में चल रहे वर्तमान चरण के दौरान सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कुल कितने जिला अस्पतालों का चयन चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में स्तरोन्नयन करने के लिए किया गया है;

(ख) सरकारी पूंजीगत सहायता सहित सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल का वित्तीय ढांचा क्या है तथा परिचालन और शैक्षिक अवसंरचना के लिए निजी भागीदार के दायित्व क्या हैं

(ग) संकाय सदस्यों की भर्ती, पाठ्यचर्या विनियमन और नैदानिक और शिक्षण उपकरणों की खरीद के लिए किन -किन कार्यविधियों की योजना बनाई गई है; और

(घ) इस पहल के लिए जिलों के चयन हेतु क्या व्यापक मानदंड अपनाए गए हैं और नव उन्नत संस्थानों में चिकित्सा शिक्षा शुरू करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

05 दिसंबर, 2025 के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 'मौजूदा ज़िला/रेफ़रल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है। इसमें उन अल्प सेवित क्षेत्रों और आकांक्षी ज़िलों को प्राथमिकता दी जाती है जहाँ कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि साझाकरण व्यवस्था पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 है जबकि अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के तहत, मध्य प्रदेश में चौदह (14) और महाराष्ट्र में दो (02) मेडिकल कॉलेजों सहित सभी परिकल्पित 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।

इसके अलावा, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना के अंतर्गत, मौजूदा जिला अस्पतालों को उन्नत करके सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए इन शर्तों के अध्यधीन अनुदान प्रदान किया जाता है कि (i) राज्य सरकारें संबद्ध मेडिकल कॉलेज के लिए अस्पताल सुविधाओं तक पूर्ण पहुँच की अनुमति दें, और (ii) रियायती शर्तों पर भूमि उपलब्ध कराई जाए। इस योजना में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

i. उप-योजना I के अंतर्गत, परियोजना लागत का 30% तक केंद्रीय वीजीएफ सहायता के रूप में प्रदान किया जाए, जिसमें परियोजना प्रायोजक प्राधिकारी से समतुल्य योगदान की अनुमति है।
ii. उप-योजना II (प्रायोगिक/प्रदर्शन परियोजनाएं) के अंतर्गत, परियोजना लागत का 40% तक और पहले पांच वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) लागत के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) का 25% तक परिचालन अनुदान के रूप में समर्थित किया जा सकता है, जिसमें संबंधित राज्य/प्राधिकारी से समतुल्य योगदान की अनुमति है।

आर्थिक कार्य विभाग ने आगे बताया कि इस योजना के अंतर्गत ग्यारह (11) मेडिकल कॉलेजों को सैद्धांतिक अनुमोदन मिल चुका है। ये परियोजनाएँ झारखंड (गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा और खूंटी), अरुणाचल प्रदेश (नमसई) और उत्तर प्रदेश (बागपत, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज, महोबा और हमीरपुर) राज्यों में स्थित हैं।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के न्यूनतम मानक आवश्यकता (एमएसआर) विनियमों में संकाय भर्ती, पाठ्यक्रम विनियमन, निदान और शिक्षण उपकरणों के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
